शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 11 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 4 – 11 मार्च 2024 मूल्य पांच रूपये

निष्कासन से एफ.आई.आर तक पहुंची राजनीति का अगला पड़ाव क्या होगा?

- क्या यह एफ.आई.आर. केंद्रीय एजैन्सीयों को न्योता सिद्ध होगी?
- भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व में जारी पत्र बम्ब अब आयेंगे बड़ी भूमिका में

शिमला/शैल। राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के कारण दल बदल कानून के तहत सदन की सदस्यता खो चुके कांग्रेस के छ: विधायक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की न्यायिक समीक्षा के लिये सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुके हैं। 241 पन्नों की याचिका में अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ न्यायिक समीक्षा हेतु संलगन किये गये दस्तावेजों में पहले ही दस्तावेज सचेतक परिपत्र हैं यह परिपत्र कौन सी तारीख को जारी किया गया यह परिपत्र में स्पष्ट नहीं है। क्योंकि इस पर तारीख का जिक्र ही नहीं है। जबकि इन विधायकों के खिलाफ की गयी कारवाई में आरोप ही यह है कि इन्होंने सचेतक परिपत्र की उल्लघंना की है। यदि सचेतक परिपत्र पर कोई तारीख ही अंकित नहीं है तो उसकी प्रमाणिकता स्वत: ही संदिग्ध हो जाती है। फिर 27 – 28 की रात को 12:35 पर निष्कासन का नोटिस भेज कर 28 को सुनवायी करके फैसला देने की शीघ्रता भी न्यायिक समझ में संदेह के घेरे में आ जाती है। इस वस्तुस्थिति में यह माना जा रहा है की इन विधायकों का निष्कासन न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर ठहर नहीं पायेगा यह माना जा रहा है।

अभी न्यायिक समीक्षा का परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस के निष्कासित चैतन्य शर्मा के पिता उत्तराखण्ड से सेवानिवृत मुख्य सचिव राकेश शर्मा और हमीरपुर के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भ्रष्टाचार किये जाने की एफ. आई.आर. शिमला के थाना बालूगंज में करवायी गयी है। आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में पैसे का लेनदेन हुआ है। स्मरणीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जुलाई 2018 में हुये संशोधन के बाद भ्रष्टाचार होने की सूचना सात दिनों के भीतर देना अनिवार्य है। इस संशोधन के बाद रिश्वत देना भी अपराध है और इसके लिये सात वर्ष की कैद का भी प्रावधान है। वर्तमान मामले में यह शिकायत 10 मार्च को आयी है जबकि राज्यसभा की वोटिंग 27 फरवरी को हो गयी थी। तो क्या पैसे के लेन देन 27 के बाद हुआ है? यदि इस लेन देन की शिकायतकर्ताओं के पास पुख्ता जानकारी थी तो इसमें छापा मारकर रिकवरी क्यों नहीं करवाई गयी? कानून के जानकारों के मताबिक यह मामला बनता नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि सरकार इस तरह के हाथकण्डों पर क्यों आ गयी है। यदि निष्कासित विधायकों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल जाती है तो उनकी सदस्यता बरकरार रहती है। वह कांग्रेस के सदस्य बने रहते हैं। लेकिन क्या इस एफ.आई.आर. के बाद भी वह सुक्खू को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे शायद नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय से राहत नही मिलती है तो इन छ: स्थानों पर नये चुनाव होंगे। यह चुनाव लोकसभा के साथ ही हो जायेंगे और इनमें कांग्रेस कोई सीट जीत पायेगी यह संभव नहीं लगता। क्योंकि लोकसभा चुनावों और विधानसभा के इन चुनावों में सरकार द्वारा इस दौरान लिये गये फैसलों की व्यवहारिकता फिर जनचर्चा में आयेगी। महिलाओं को जो 1500 रूपये देने का फैसला लिया गया है और जो फॉर्म आवेदिका को भरना है उसके अनुसार लाभार्थी होने वालों का आकड़ा नगण्य होगा। बल्कि यह फॉर्म सामने आने पर और नुकसान होने की संभावना होगी। कर्मचारियों के संद्धर्भ में जारी की गयी अधिसूचना वापस लेनी पड़ी है उससे सरकार की नीयत और वित्तीय स्थिति दोनों का पता चलता है।

दूसरी और यदि यह सारा खेल भाजपा के ऑपरेशन लोटस का परिणाम है तो निश्चित है कि इसके लिये मुख्यमंत्री के निकट बैठे सलाहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भाजपा को सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि इस एफ. आई.आर.के बाद दोनों पक्षों में समझौते की कोई संभावना नहीं रह जाती है। पैसे के कथित लेनदेन के लिये जांच भाजपा नेताओं तक भी पहुंचेगी। भाजपा तक जांच पहुंचते ही केंद्रीय एजैन्सीयां सक्रिय हो जायेंगी। प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों के खिलाफ पत्र बम पहले ही रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। उनकी जांच केंद्रीय एजैन्सीयों से करवाने की चुनौतियां पहले ही दी जा चुकी हैं। ऐसे में इस एफ.आई.आर. के बाद केंद्रीय एजैन्सीयों को प्रदेश में आने का का न्योता सिद्ध होगी यह तय है और इसके परिणाम भयानक होंगे। क्योंकि अब आरोप – प्रत्यारोप व्यक्तिगत स्तर पर आ जायेंगे। उद्योग क्षेत्र बी.बी.एन को लेकर तो एक समय उद्योग मंत्री भी बहुत कुछ कह चुके हैं। फार्माउद्योग लम्बे अरसे से आरोपों के घेरे में चल रहा है। यह सब इस आग में घी का काम करेगा जिसमें कई चेहरे झुलसेंगे।

व्यवस्था परिवर्तन के जुमले ने पहुंचाया सरकार को गिरने की कगार पर

शिमला/शैल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद प्रदेश की राजनीतिक स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। कांग्रेस के संकट को संभालने के लिये हाईकमान द्वारा भेजे गये पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद यह संकट और गहरा गया है। क्योंकि इस रिपोर्ट पर उठी चर्चाओं के अनुसार इस संकट के लिये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और उनके मंत्री बेटे विक्रमादित्य सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुये प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने का सुझाव दिया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री द्वारा भी अपनी गलतियां स्वीकार करने की बात करते हुये लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पर विचार करने की बात की गई है। यदि सही में पर्यवेक्षकों की ऐसी ही रिपोर्ट है तो यह अन्त:विरोधी है और संकट को गहराने वाली है। क्योंकि एक के अपराध की सजा अभी और दूसरे के अपराध पर बाद में विचार किया जायेगा। क्या इस स्थिति को कांग्रेस जन स्वीकार कर पायेंगे? यदि पर्यवेक्षकों के इस सुझाव को मानते हुये इस पर अमल भी कर लिया जाये तो क्या कांग्रेस प्रदेश में लोकसभा की कोई सीट जीत पायेगी? शायद नहीं। जब सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री प्रमुख हो जाता है और संगठन दूसरे स्थान पर चला जाता है। स्मरणीय है कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष थे और स्व. वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और दोनों में भेद चल रहे थे। तब कांग्रेस चुनाव हार गयी थी और उस हार के लिये बतौर अध्यक्ष सुक्खू ने मुख्यमंत्री वीरभद्र को जिम्मेदार ठहराया था। सुक्खू का उस समय का ब्यान वायरल हो चुका है। सुक्खू का यह तरक तब भी सही था और आज भी सही है। कार्यकर्ता सरकार के कार्यो को लेकर जनता में जाता है। सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़े जाते हैं उसके ब्यानों पर नहीं। आज हिमाचल की सबसे बड़ी समस्या युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी है। हिमाचल बेरोजगारी में देश का छटा राज्य हो गया है। युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी गई थी। लेकिन विधानसभा के इस बजट सत्र में यह प्रश्न पूछे गये थे कि सरकार ने एक वर्ष में कितना रोजगार उपलब्ध करवाया है। ऐसे हर सवाल के जवाब में सूचना एकत्रित की जा रही का ही जवाब दिया गया है। ऐसे जवाब में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि लोग पार्टी को समर्थन देंगे। इस परिदृश्य में यह सवाल अहम हो जाता है कि यदि कार्यकर्ता जनता के सवालों को लेकर अपने नेताओं से सवाल नहीं

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसंधान पर दिया बल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य की पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रिया एवं सतत आजीविका के विषय पर गहन विचार

करने पर बल देते हुए कहा कि भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय पारिस्थितिकी पर अनुसंधान कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कुल्लू स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा 'माउंटेन इको सिस्टम प्रोसेसिज एंड लाइवलीहुड' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इससे पहले उन्होंने संस्थान के गेस्ट हाउस और ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया।

हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण अध्ययन के रूप में संस्थान के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि यह संस्थान वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने, एकीकृत प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये अग्रणी संस्थान के रूप में उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। पिछले वर्ष राज्य में आई प्राकृतिक आपदा पर शोध की आवश्यकता पर बल देते हुये उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के लिये अनुसंधान आधारित रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने नदी किनारे निर्माण कार्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं और सतत आजीविका के विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जल और वनों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पर्यावरण संरक्षण होगा। हमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पौधे लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने आयोजकों से कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत शोध वक्तव्यों पर एक रिपोर्ट तैयार कर राज्य और केंद्र सरकार को भेजना सुनिश्चित करें ताकि सम्मेलन के दौरान प्राप्त हुए निष्कर्षों पर विचार किया जाये।

इस अवसर पर राज्यपाल ने संस्थान के दो प्रकाशनों का विमोचन भी किया।

इससे पूर्व, मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने राज्य की नदियों, विशेषकर ब्यास और पार्वती नदियों पर शोध का सुझाव दिया, ताकि इन नदियों में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिये उचित कदम उठाए जा सकें।

गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के निदेशक प्रो. सुनील नोटियाल ने संस्थान के इतिहास और अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर एवं उत्तराखंड के निदेशक प्रो. ललित अवस्थी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की विशेषज्ञ प्रो. आरती कश्यप, गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कुल्लू के क्षेत्रीय प्रमुख राकेश कुमार, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त तोरुल एस. रवीश, पुलिस अधीक्षक डॉ. गोकुल चंद्र कार्तिके, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन विभाग की 1962-मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एंबुलेंस उपलब्ध करवाई गई हैं। इस पर 7.04 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इनमें से बिलासपुर, ऊना, सोलन व कुल्लू में तीन-तीन, लाहौल-स्पीति में दो, मंडी व शिमला में पांच, चंबा, सिरमौर व

हमीरपुर में चार-चार, किन्नौर में एक तथा कांगड़ा जिला में सात मोबाइल एंबुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का शुभारम्भ भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के आरंभ होने से प्रदेश के पशु पालक किसी भी कोने से टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर आपात स्थिति में गंभीर पशु रोगों के उपचार के लिये पशु चिकित्सा सेवा अपने घर-द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एंबुलेंस के साथ एक पशु चिकित्सक तथा एक फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे। जब भी किसी पशु पालक को आपात स्थिति में मदद चाहिए होगी, तो वह टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकेंगे और उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः नौ बजे से सायं पांच बजे तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है।

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन परियोजना का पट्टा अवधि पूरी हो रही है और हिमाचल को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी।

अर्की विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किये:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्य सदैव जीतता है और प्रदेश के जन-जन के आर्शीवाद से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री अर्की के दाड़लाघाट में आयोजित जातर मेला में उपस्थित देवी-देवताओं की

पूजा-अर्चना के बाद विशाल जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने तदोपरांत अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किये।

उन्होंने 8.09 करोड़ रुपए की लागत से शालाघाट-कोठी-कोलका-चमयावल मार्ग को चौड़ा करने एवं पक्का करने, 6.38 करोड़ रुपए से पिपलूघाट-सरयांज मार्ग के स्तरोन्यन, 11.05 करोड़ रुपए की लागत से अर्की से शालाघाट तक सम्पर्क मार्ग के स्तरोन्यन, 8.09 करोड़ रुपए की लागत से अर्की-खरड़हटी मार्ग के स्तरोन्यन कार्य, 17.40 करोड़ रुपए की लागत से गलोग-टुकाना जोखाघाटी मार्ग के स्तरोन्यन कार्य तथा 10.42 करोड़ रुपए की लागत से कराड़घाट से बांवा मार्ग के स्तरोन्यन कार्य की आधारशिला रखी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2.11 करोड़ रुपए की लागत से वैटनरी मोड़-कोटला नुम्हाला-शिवनगर मार्ग का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने सरली में 7.94 करोड़ रुपए की लागत से 33 के.वी. विद्युत उप केन्द्र की आधारशिला रखी तथा 14.56 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय महाविद्यालय दाड़लाघाट के भवन का भूमि पूजन किया।

उन्होंने 6.89 करोड़ रुपए की लागत से दाड़लाघाट में जलापूर्ति योजना के पुराने वितरण नेटवर्क के पुनर्सार कार्य का शिलान्यास किया तथा अर्की शहर की शेष बस्तियों के लिए 2.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली मल निकासी योजना की आधारशिला रखी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कन्धर-समत्याड़ी मार्ग पर 3.28 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित समत्याड़ी पुल जनता को समर्पित किया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुन्धन में 1.29 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अर्की में मिनी सचिवालय निर्मित करने तथा दाड़लाघाट में विभिन्न कार्यालयों के लिये एक संयुक्त कार्यालय निर्मित करने की घोषणा की। उन्होंने मांगू में 33 के.वी विद्युत उप केन्द्र निर्मित करने की घोषणा की। इससे क्षेत्र की लगभग 10 पंचायतों में कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी। उन्होंने दिग्गल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्तन करने की घोषणा भी की।

उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गनागुघाट में विज्ञान विषय में कक्षाएं आरम्भ करने, अर्की में इंडोर स्टेडियम निर्मित करने तथा प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार मलौण में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धतता के अनुसार दाड़लाघाट में खेल मैदान के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुनिहार में नागरिक अस्पताल के लिये भूमि उपलब्ध होने पर नया भवन निर्मित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के परिवहन आपरेटरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार-विमर्श किया जायेगा।

बाघल लैंड लूजर परिवहन सहकारी सभा समिति दाड़लाघाट के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और ट्रांसपोर्ट आपरेटरों की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, खण्ड कांग्रेस समिति अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी और क्षेत्रवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मशाल जुलूस में शामिल हुए मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा शिमला के रिज मैदान से निकाले गये मशाल जुलूस में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह कैंडल मार्च कथित तौर पर असंवैधानिक तरीकों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के लिए भाजपा नेतृत्व के खिलाफ निकाला जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए।

यह मशाल जुलूस अम्बेदकर चौक, चौड़ा मैदान में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया। भाजपानीत केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का दुरूपयोग कर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार को आघात पहुंचाने तथा जनमत की अनदेखी करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए राज्य के संसाधनों का जम कर दुरूपयोग किया तथा उनके आर्थिक कुप्रबंधन से प्रदेशवासियों पर कर्ज का भारी बोझ बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आये हैं। इसी भावना से कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में राजस्व बढ़ाने के सफल प्रयास किए हैं। इस दौरान अपनी पांच चुनावी गारंटियों को पूरा करते हुए युवा, महिला, किसान व कर्मचारियों सहित प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने दोहराया कि जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी।

मशाल जुलूस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह, सभी कैबिनेट मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, मुख्य संसदीय सचिव, विधायकगण, विभिन्न पार्टी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

विशेष राहत पैकेज के तहत लगभग 22 हजार आपदा प्रभावितों को दी गई वित्तीय सहायता: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 22 हजार से अधिक आपदा प्रभावित परिवार प्रदेश सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्वास के लिये लाये गये 4500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज से लाभान्वित हुये हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये 2968 परिवारों को 3 लाख रुपये की रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई है तथा शेष सहायता राशि के रूप में शीघ्र ही उन्हें 4 लाख रुपये प्रदान किये जायेगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता सरकार द्वारा संशोधित मानदंडों के अनुसार जारी की गई है जिसके तहत राहत पैकेज में कई गुणा वृद्धि की गई है।

उन्होंने कहा कि 10 हजार से अधिक परिवारों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिये, 3648 लाभार्थियों को क्षतिग्रस्त गौशालाओं की मरम्मत के लिये और लगभग 1800 परिवारों को पशुधन के नुकसान के लिये सहायता राशि प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान और खेती योग्य भूमि के नुकसान के लिये भी सहायता राशि दी है, जिससे लगभग 2600 किसानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त 507 दुकानों और ढाबों के मालिकों को भी मुआवजा दिया गया है, जो उनके व्यवसाय को पुन: आरम्भ करने के लिये फायदेमंद साबित हुआ है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्ष बरसात के मौसम में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना किया जिस दौरान भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भू-स्खलन ने जन-जीवन तथा सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। आपदा से उपजी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रदेशवासियों ने हिम्मत से सामना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिये सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिये बिल्कुल भी मदद नही की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के दौरान पूर्व में प्रदान की जा रही सहायता राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिये सहायता राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिये सहायता राशि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये, दुकान या ढाबे के नुकसान पर सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और गौशालाओं को नुकसान होने पर सहायता राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी दरों पर नि:शुल्क राशन, गैस कनेक्शन, नि:शुल्क बिजली व पानी कनेक्शन और सरकारी दरों पर सीमेंट भी उपलब्ध करवा रही है।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला को दी 784 करोड़ रुपये की 33 विकास परियोजनाओं की सौगात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के अपने दौरे में देहरा और नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में 784 करोड़ रुपये की 33 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किये।

मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में 356.02 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। उन्होंने देहरा के वनखंडी में 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले वन्य प्राणी उद्यान की आधारशिला रखी।

उन्होंने देहरा विस में 6.02 करोड़ रुपये की दो सड़कों नैहरन पुखर से बाड़ा वाया भरूण तथा चिंतपुरनी से बरवाड़ा के कार्य का शिलान्यास किया।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां के गांधी मैदान में नगरोटा बगवां तथा पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिये 427 करोड़ रुपये की 30 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए।

उन्होंने राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिग कॉलेज नगरोटा बगवां के 6.50 करोड़ रुपये से निर्मित पुस्तकालय तथा कंप्यूटर सेंटर का उदघाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 3.80 करोड़ रुपये की लागत के राजकीय फार्मा कॉलेज में बने 100 बच्चों की क्षमता के छात्र छात्रवास का लोकार्पण तथा 41.47 करोड़ रुपये से बने 200 बिस्तरों के श्री जी.एस. बाली मातृ शिशु अस्पताल टांडा का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी इजीनियरिग कॉलेज में 6.80 करोड़ रुपये से बने 33 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 22.56 लाख रुपये से बने विद्युत बोर्ड के जेई कार्यालय एवं शिकायत कक्ष का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त 2.67 करोड़ रुपये से जल शक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजना घीणा-मोरठ-जसाई व बालूग्लोआ के स्तरोन्नयन कार्य तथा चंगर क्षेत्र बड़ोह में घरेलू पेयजल कनेक्शन मुहैया कराने की 6.44 करोड़ रुपये की परियोजना का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने बनेर खड्ड पर जसोर गांव के लिये 3.50 करोड़ रुपये से बने स्पैन ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालूग्लोआ में 1.10 करोड़ रुपये से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला नगरोटा बगवां में 1.54 करोड़ रुपये से बने अतिरिक्त भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज टांडा में 2.95 करोड़ रुपये से बने सुविधा खंड कम कैंटीन का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां व पालमपुर शहर के लिये करीब 52-52 करोड़ रुपये की सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने नगरोटा बगवां के लिये 130 करोड़ रुपये की वेलनेस कम कनवेंशन सेंटर एवं का वेडिग डेस्टीनेशन तथा इंटरनेशनल फाउंटेंन परियोजना शिलान्यास किया। इसमें 90 करोड़ रुपये वेलनेस कम कनवेंशन सेंटर तथा वेडिग डेस्टीनेशन पर और 40 करोड़ रुपये इंटरनेशनल फाउंटेंन के निर्माण पर व्यय होंगे।

उन्होंने नगरोटा बगवां स्थित मधुमक्खी पालन केंद्र के विकास की 8.51 करोड रुपये की परियोजना और 1.90 करोड़ रुपये लागत से बनने वाले विद्युत बोर्ड के डिविजन एवं सब डिविजन के भवन की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने 2.74 करोड़ रुपये की धनूल-काशतवाड़ी सिंचाई परियोजना, 3.62 करोड़ रुपये की कठूल कुहल परियोजना और 1.23 करोड़ रुपये की मटयाड़ी में जल स्रोत सुधार कार्य परियोजना का शिलान्यास किया।

उन्होंने 8.46 करोड़ रुपये के देहरियां कंडी घराणा सड़क स्तरोन्ययन कार्य तथा 7.24 करोड़ रुपये के ठंडा पानी, जगनी से खब्बलखोली खरट सड़क, 5.04 करोड रुपये से कंडी से सरूट सड़क तथ 9.64 करोड़ रुपये के नगरोटा बलधर सियूण पधर सड़क के स्तरोन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने नगरोटा बगवां के रनहू में 5 करोड़ रुपये से बनने वाले राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने 7.52 करोड़ रुपये से बनने वाली टोरू-वाह-चपरेहड़ सड़क का शिलान्यास किया। उन्होंने 14.14 करोड़ रुपये से टांडा मेडिकल कॉलेज में बनने वाले लेक्चर थियेटर परिसर और 27.44 करोड़ रुपये से नगरोटा बगवां में बनने वाले पार्किंग परिसर एवं सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी। उन्होंने नगरोटा बगवां के हटवास में 4.75 करोड़ रुपये से बनने वाले इंडोर खेल परिसर का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारम्भ किया। उन्होंने बैंक की दो नई योजनाओं 'एकमुश्त समाधान योजना' और 'उच्च घनत्व सेब बागान विकसित करने के लिये ऋण योजना' का शुभारम्भ भी किया।

उन्होंने बैंक द्वारा आईबीपीएस के माध्यम से की जा रही 232 लिपिक पदों की भर्ती के लिये ऑनलाइन लिक की शुरुआत भी की। नई शाखाओं में समरकोट, झड़ग/नकराड़ी, पराला, धमांदरी, मेहंदली, जरोल, जनेहड़घाट, अप्पर कैथू, खटनोल, निहरी, चाय का डेरा, स्यांज, भराड़ी, मंडप, धार-टटोह, लोहाट, अवाह, छतराडी, हलाह, हरिपुरधार, टिम्बी और चांगो शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना से बैंक के डिफाल्टर ऋण धारक जो किन्ही कारणों से अपने देय ऋण की अदायगी समयानुसार नही कर पाये और जिनके ऋण खाते 31 दिसम्बर, 2023 को बैंक द्वारा एनपीए की डी-। श्रेणी में दर्ज किए जा चुके है, ऐसे सभी बकाएदार ऋण धारक इस योजना के तहत अपने ऋणों की अदायगी का बैंक के साथ एकमुश्त समझौता कर निपटान के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च घनत्व के सेब बागीचे विकसित करने के लिये ऋण योजना के तहत प्रदेश के बागवानों को उच्च घनत्व सेब के पौधारोपण में नई तकनीक के प्रोत्साहन और नई किस्मों की पैदावार के लिये प्रति बीघा 8 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जायेगी। इस योजना के तहत ऋण धारक को अधिकतम 50 लाख रुपये तक ऋण प्रदान किया जायेगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की प्रदेश के विकास में महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि बैंक की सपनों का संचय-डिपॉजिट लक्कड़ बचत जमा योजना तथा सशक्त महिला ऋण योजना के सार्थक परिणाम आये हैं। सशक्त महिला ऋण योजना के तहत अभी तक 16836 महिला ऋणियों को 35 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किये जा चुके हैं।

बैंक के अध्यक्ष देविन्द्र श्याम ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई शाखाओं के खुलने से समाज के सभी वर्गों को बैंकिग सेवाओं की सुविधा घर-द्वार पर ही उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना से दोषी ऋण धारकों को अपने वित्तीय पोर्टफोलियो में सुधार का अवसर प्राप्त होगा। जो ऋणी अपनी ऋण निपटान राशि का भुगतान एकमुश्त करेगा उसे प्रोत्साहन के तौर पर 0.5 अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जायेगी।

बैंक के प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा ने बैंक की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनारथा, मलेन्द्र राजन व नीरज नैय्यर, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की दत्तक प्रक्रिया पूर्ण करवाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद ठाकुर सुखविदर सिंह सुक्खू ने अपने अधिकारिक आवास पर अनाथ बच्ची और उसके भावी माता-पिता से मुलाकात कर उसका कुशलक्षेम जाना। उल्लेखनीय है कि शिशु गृह टूटीकंडी शिमला में पल रही इस 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' को 17 जनवरी, 2024 को उसके भावी माता-पिता को मुख्यमंत्री के समक्ष दतक ग्रहण प्रक्रिया को आरम्भ करवाया गया था, जिसके बाद वह बच्ची को अपने साथ प्रतिपालक देखरेख के लिए बैंगलोर ले गये थे।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रक्रिया को पूर्ण करवाते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप के माध्यम से बच्ची को उसके माता-पिता को अधिकारिक तौर पर सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने बच्ची के अभिभावकों से उसे प्यार और दुलार देने को कहा और उसके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। उन्होंने समाज के सम्पन्न वर्ग से आगे आकर गरीब और बेसहारा बच्चों को आश्रय प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि उनका भविष्य भी संवर सके।

दिन–रात अपने मस्तिष्क को, उच्चकोटि के विचारो से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा।

..... स्वामी विवेकानन्द

सम्पादकीय

राष्ट्रीय स्तर पर घातक होगा हिमाचल का घटनाक्रम

हिमाचल के निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के एक बागी विधायक के पिता एवं अन्य कें खिलाफ राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने तथा बजट सत्र में सरकार गिराने के प्रयासों का आरोप लगाते हुये भ्रष्टाचार अधिनियम तथा चुनाव अधिनियम के प्रावधानों के तहत कांग्रेस के ही दो विधायकों ने पुलिस के पास एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। इस एफ.आई.आर. के बाद कुछ ऐसे बुनियादी सवाल खड़े हो गये हैं जिन पर निष्पक्षता से विचार किया जाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि सामान्यत: ऐसे आरोपों पर चुनाव याचिकाएं तो होती है। लेकिन चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर इस तरह की एफ.आई.आर. होना शायद पहला उदाहरण है। राज्यसभा चुनाव के लिये सचेतक परिपत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है। विधायकों के निष्कासन के लिए भी बजट में व्हिप के उल्लंघन को आधार बनाया गया है जबकि एफ.आई.आर.में राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने को बड़ा मुद्दा बनाया गया है। पैसे के लेन देन का आरोप भी चुनाव हारने वाले प्रत्याशी की बजाये उसके पक्ष में वोट डालने वाले विधायक लगा रहे हैं। चुनाव परिणाम आ जाने के बाद इस तरह के आरोपों पर चुनाव याचिका दायर न करके एफ.आई.आर. करवाने से और कई सवाल खड़े हो जाते हैं।

सरकार गिराने का आरोप एक गंभीर आरोप है और राजद्रोह की श्रेणी में आता है। लेकिन क्या विधायकों का बजट के खिलाफ वोट करना राजद्रोह की श्रेणी में आयेगा? राजद्रोह की परिभाषा में विधायकों का ऐसा आचरण नहीं आता है। विधायकों के ऐसे आचरण के लिये दल–बदल कानून है और उसके प्रावधानों के तहत कारवाई करते हुये विधायकों को निष्कासित भी कर दिया गया। इस निष्कासन के बाद एफ.आई.आर. जैसी कारवाई कानूनी समीक्षा में कैसे परिभाषित और व्याख्यायित होती है यह देखना दिलचस्प होगा। विधायक नेतृत्व से रूष्ट थे और एक अरसे से अपना रोष हाईकमान तक भी पहुंचा चुके थे। सचेतक यदि नियुक्त हो तो यह उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह विधायक दल में पनपे रोष को नेतृत्व के समक्ष रखें। इस प्रकरण में ऐसा कुछ हुआ होने की कोई सूचनाएं नहीं आयी हैं। ऐसे में अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा में लंबित होने के चलते समानान्तर रूप से एफ.आई.आर. का करवाया जाना क्या विधायकों के निर्णय लेने के अधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं माना जायेगा?

हिमाचल का यह प्रकरण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा यह तय है। इस प्रकरण में हुई कारवाइयों से यह सवाल उभरेगा की क्या कांग्रेस के अन्दर आन्तरिक लोकतंत्र के लिये कोई स्थान नहीं है? विधायकों के रोष के लिये संगठन में कोई स्थान नहीं है? क्या विधायक मुख्यमंत्री के लिये बन्धुआ से अधिक कुछ नहीं है? क्या नेतृत्व को निरंकुश होने का अधिकार हासिल है? क्या नेतृत्व से तीखे सवाल पूछना और जनहित की बात उठाना अनुशासन हीनता है? आज बागी विधायकों और उनके समर्थकों तथा परिजनों के खिलाफ जिस स्तर पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में चर्चा में आये हैं उससे राहुल गांधी द्वारा मोदी और उनकी सरकार पर उठाये जा रहे सवाल बौन पढ़ने शुरू हो गये हैं। यदि कांग्रेस हाईकमान हिमाचल में नेतृत्व की निरंकुशता पर लगाम न लगा पायी तो कांग्रेस के लिए हिमाचल का घटनाक्रम राष्ट्रीय स्तर पर घातक प्रमाणित होगा।

नेहरू–लियाकत समझौते की विफलता और नागरिकता संशोधन अधिनियम

गौतम चौधरी

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दस्तावेज का दावा किया गया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं करता है। यह इंगित करता है कि सीएए केवल धर्म के आधार पर निर्मित एवं स्थापित देशों में धार्मिक उत्पीड़न को वर्गीकृत करता है। इस अधिनियम की भारत को इसलिये भी जरूरत है कि हमारे बगल के तीन देश धार्मिक आधार पर गठित हैं और उनकी प्रशासनिक एवं कानूनी प्रकृति धर्म के आधार पर अपने नागरिकों को वर्गीकृत करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इस्लाम को छोड़ अन्य धर्म के मानने वाले वहां रहना नहीं चाह रहे हैं। इन तीनों देशों में राजधर्म, इस्लाम को छोड़ कर अन्य किसी पंथ के लोग अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यहां तक की इन तीनों देशों में इस्लाम को अहम दिया फिरके को भी परोक्ष रूप से रहने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अहमदिया फिरके वाले दुनिया के अन्य किसी क्षेत्र में अबाद हो रहे हैं लेकिन इस्लामिक देशों में सरकारी तौर पर उनके खिलाफ षडयंत्र जारी है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मे ंतो इन्हें गैर इस्लामिक घोषित किया जा चुका है और इशनिंदा के कानून इन पर भी लागू होते हैं।

सबसे पहले सीएए को हमें समझना होगा। यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह मात्र उन उत्पीड़ित धार्मिक समुदाय के लिये जिन्हें हमारे पड़ोसी देश की शासन प्रणाली पंथ के आधार पर उत्पीड़ित कर रही है। मसलन, सीएए में प्रावधान है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई जैसे छह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत में शरण लेने के लिये मजबूर किया गया था, उन्हें अब भारत में अवैध नहीं माना जाएगा। इसकी नीव तभी पड़ गयी थी जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के वजीरेआजम लियाकत अली खान के बीच का समझौता कमजोर पड़ गया। केन्द्रीय गृह मंत्रलय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने की घोषणा कर दी है। इस अधिनियम को लेकर कुछ मौकापरस्त समूह विरोध पर उतर आये हैं लेकिन क्या यह हाल का मामला है? ऐसा नहीं है। वर्ष 1950 में नागरिकता को लेकर नेहरू–लियाकत समझौता हुआ था। उस समझौते में भारत और पाकिस्तान के नागरिकों को परिभाषित कर दिया गया। पाकिस्तान ने उस समझौते की धज्जियां उड़ा कर रख दी। आज जो पाकिस्तान का संविधान है उसकी प्रस्तावना में ही कहा गया है कि पाकिस्तान का निर्माण ही इस्लाम की रक्षा के लिए हुआ है और पाकिस्तान राष्ट्र का लक्ष्य इस्लाम की रक्षा है। भारत में जो आज सीएए लागू किया गया है उसकी आधरशिला उसी समय रख दी गयी थी। इस अधिनियम का लक्ष्य हमारे पड़ोस के गैर–धर्मनिरपेक्ष देशों में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करना मात्र है।

आइए हम नेहरू–लियाकत समझौते को समझते हैं। दरअसल, दोनों पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्रियों ने वर्ष 1950 में दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे आमतौर पर नेहरू–लियाकत समझौता कहा जाता है। समझौते में एक–दूसरे के क्षेत्रों में निवास कर रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी दी गयी थी। नेहरू–लियाकत समझौते के तहत, जबरन धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी गई और अल्पसंख्यक अधिकारों की पुष्टि की गई। उस समय पाकिस्तान, नागरिकता की पूर्ण समानता और जीवन, संस्कृति, भाषा की स्वतंत्रता और पूजा के संबंध में सुरक्षा की पूर्ण भावना प्रदान करने के लिए औपचारिक रूप से सहमत हुआ था। पाकिस्तान जल्द ही अपने वादे से मुकर गया। अक्तूबर 1951 में लियाकत अली की हत्या कर दी गई। जब 3 जनवरी, 1964 को श्रीनगर के हजरतबल में पवित्र अवशेष चोरी हो गया, तो पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, में बड़े पैमाने पर अशांति फैल गई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय, खास कर हिन्दुओं को निशाना बनाया गया। इस घटना में हजारों हिन्दुओं की जान चली गयी और लाखों की संख्या में हिन्दू वहां से पलायन कर गए। कुछ तो भारत में आकर भी शरण लिए। हालांकि अगले दिन पवित्र अवशेष बरामद कर लिया गया, फिर भी तत्कालीन पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे जारी हरे।

दरअसल, लोकसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि भारत नेहरू– लियाकत समझौते को लागू कर रहा है लेकिन पाकिस्तान अपना काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में, नंदा, जिन्होंने नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ने कहा, ''भारत उन लोगों के प्रति अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है, जो हमारा हिस्सा थे, जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते हैं तथा जो हमारे रिश्तेदार और दोस्त हैं और हम उनके कष्टों, उनके शरीर एवं आत्मा की यातना आदि से मुंह नहीं मोड़ सकते जिनसे वे वहां गुजर रहे हैं।''

यह वह समय था जब नेहरू प्रधानमंत्री थे और संसद में बैठे थे तब उनके गृहमंत्री ने कहा था, ''अगर उन्हें पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक, अपने देश में सुरक्षा के बीच सांस लेना असंभव लगता है और उन्हें लगता है कि उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए, तो हम उनका रास्ता नहीं रोक सकते। हमारे पास उनसे यह कहने का साहस नहीं है, तुम वहीं रहो और कत्ल किये जाओ।'' तीन दिन बाद, भुवनेश्वर में नेहरू को बायीं तरफ लकवा मार गया, जिसके कारण नंदा को अस्थायी रूप से बीमार प्रधानमंत्री नेहरू की कार्यकारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ीं थी।

सीएए पर गृह मंत्रालय के एक दस्तावेज में देश की आजादी पर आधी रात को दिये गये नेहरू के 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण को उद्धृत करते हुए कहा गया है, ''हम अपने उन भाइयों और बहनों के बारे में भी सोचते हैं जो राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे अलग हो गए हैं और हमने जो आजादी पायी है वर्तमान में वे नाखुश होकर साझा नहीं कर सकते है। वे हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाये और हम उनके अच्छे और बुरे भाग्य में समान रूप से भागीदार होंगे।''

सीएए ने अहमदिया, शिया, बहाई, हजारा, यहूदी, बलूच और नास्तिक समुदायों को इस आधार पर बाहर रखा है कि राजनीतिक या धार्मिक आंदोलनों से उत्पन्न उत्पीड़न को ऐसे व्यवस्थित धार्मिक उत्पीड़न के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है जिससे सीएए का उद्देश्य ही समाप्त हो जाये। इसी तरह, रोहिंग्या, तिब्बती बौद्ध और श्रीलंकाई तमिलों के मामलों को सीएए से बाहर रखा गया है क्योंकि यह कानून दुनिया भर के मुद्दों का सर्वव्यापी समाधान नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि भारतीय संसद दुनिया भर के विभिन्न देशों में हो रहे विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की देखभाल नहीं कर सकती है। इस मामले में बस इतना ही कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता से पहले जो हमारे साथ थे और आज वे हमारे ही देश के गैरतात्विक टुकड़ों में निवास कर रहे हैं, उन्हें धर्म के आधार पर इसलिये उत्पीड़ित किया जा रहा है कि वहां इस्लाम की आधुनिक परिभाषा गढ़ ली गयी है। ऐसे उत्पीड़ितों को आधुनिक भारत सम्मान के साथ अपने देश में जगह देने की योजना बनायी है।

गृह मंत्रालय के दस्तावेज का दावा है कि सीएए धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं करता है। यह इंगित करता है कि यह केवल धर्म के आधार पर स्थापित पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहा है। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इस्लामिक जेहाद की जद में आये अल्पसंख्यकों को एक संवल प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। यदि इसमें इस्लाम के किसी भी फिरके को साथ कर लिया जाए तो इसके हेतु नहीं सध पाएंगे। क्योंकि इस्लाम के लिए तो हमारे पड़ोस में तीन देश बन कर तैयार हो चुके हैं और वे इस्लाम की हिफाजत की न केवल वकालत कर रहे हैं अपितू उसी प्रकार का कृत्य भी कर रहे हैं, हालांकि इससे इस्लाम का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है लेकिन उनका कुल अस्तित्व तो इस्लाम के आधुनिक व्याख्या पर ही टिकी हुई है। इसलिए भारत में सीएए की नीव नेहरू –लियाकत समझौते की असफलता में ही पड़ गयी थी। इसे और पहले लागू हो जाना चाहिए था। अगर यह लागू हो गया रहता तो हमारे पड़ोस के देश में रह रहे अल्पसंख्यकों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती।

औषध विभाग ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना की घोषणा की

शिमला। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस) की घोषणा की है। यह हमारे औषध (फार्मास्यूटिकल) उद्योग की तकनीकी क्षमताओं को अपग्रेड करने और वैश्विक मानकों के साथ इसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों में एक उल्लेखनीय कदम है।

इस संशोधित योजना को 28 दिसंबर, 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के संशोधित अनुसूची – एम की आवश्यकताओं के आलोक में योजना संचालन समिति द्वारा एक व्यापक समीक्षा के बाद मंजूरी दी गयी। इस संशोधित दिशानिर्देश का उद्देश्य औषध (फार्मास्यूटिकल) उद्योग को संशोधित अनुसूची – एम और डब्ल्यूएचओ – जीएमपी मानकों के अनुरूप अपग्रेड करने में सहायता करना, हमारे देश में निर्मित औषध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाना है।

संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं:

पात्रता संबंधी मानदंड को उदार बनाया गया: अधिक समावेशी दृष्टिकोण के साथ, पीटीयूएएस के लिए पात्रता को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से इतर भी विस्तार दिया गया है ताकि 500 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वाली किसी भी दवा निर्माण इकाई को शामिल किया जा सके जिसके लिए प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन की आवश्यकता होती है। एमएसएमई को प्राथमिकता दी गयी है, जो उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण मानकों को हासिल करने में छोटी कंपनियों को समर्थन देती हैं।

लचीले वित्तपोषण विकल्प: यह योजना पारंपरिक क्रेडिट – लिंक्ड दृष्टिकोण के बजाये प्रतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी पर जोर देते हुए अधिक लचीले वित्तपोषण विकल्प प्रस्तुत करती है। इस सुविधा को भाग लेने वाली इकाइयों के वित्तपोषण विकल्पों में विविधता लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे योजना को व्यापक स्तर पर अपनाने की सुविधा मिलती है।

नए मानकों के अनुपालन के लिए समग्र सहायता: संशोधित अनुसूची – एम और डब्ल्यूएचओ – जीएमपी मानकों के अनुरूप, यह योजना अब तकनीकी उन्नयन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करती है। पात्र गतिविधियों में एचवीएसी सिस्टम, वाटर और स्टीम यूटिलिटी, परीक्षण प्रयोगशालाओं, स्थिरता कक्षों, स्वच्छ कमरे की सुविधाओं, अपशिष्ट शोधन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे सुधार शामिल हैं, जो भाग लेने वाली इकाइयों के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करते हैं।

कुशल प्रोत्साहन संरचना: पिछले तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित औसत टर्नओवर करने वाली औषध इकाइयां अधिकतम 1.00 करोड़ रुपये प्रति इकाई के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी: –

टर्नओवर	प्रोत्साहन
(i) 50 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर	पात्र गतिविधियों के अंतर्गत निवेश का 20 प्रतिशत
(ii) 50.00 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक	पात्र गतिविधियों के अंतर्गत निवेश का 15 प्रतिशत
(iii) 250 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक	पात्र गतिविधियों के अंतर्गत निवेश का 10 प्रतिशत

राज्य सरकार योजना एकीकरण: यह संशोधित योजना राज्य सरकार की योजनाओं के साथ एकीकरण की अनुमति देती है, जिससे इकाइयों को अतिरिक्त टॉप – अप असिस्टेंस से लाभ मिलता है। इस सहयोगी दृष्टिकोण का उद्देश्य औषध (फार्मास्यूटिकल) उद्योग के लिए उनके तकनीकी उन्नयन प्रयासों में समर्थन को बढ़ावा देना है।

बेहतर सत्यापन तंत्र: यह योजना एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से एक मजूबत सत्यापन तंत्र की व्यवस्था करती है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करती है।

औषध विभाग को भरोसा है कि पीटीयूएएस योजना में सुधार औषध (फार्मास्यूटिकल) उद्योग के लिए विकास और वैश्विक विनिर्माण मानकों के अनुपालन में योगदान देगा। संशोधित योजना औषध (फार्मास्यूटिकल) उद्योग का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो देश के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।

पशुधन से साकार होगी आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना

शिमला। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पशुधन के संबंध में प्रदेश काफी समृद्ध है। प्रदेश में पशुपालन सहित मत्स्य पालन, मौन पालन और कुक्कट पालन की अपार संभावनाएं हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सामाजिक – आर्थिक स्थिति की मजबूती में यह क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 2024 – 25 के वार्षिक बजट में किसानों को लाभान्वित करने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रथम अप्रैल 2024 से क्रमश: 7 रुपये व 8 रुपये प्रति किलो वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश के किसानों को गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 45 रुपये प्रति किलो तथा भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 47 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 55 रुपये प्रति किलो मिलेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश में दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है तथा पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है, जहां ऐसा निर्णय लिया गया है जो किसानों व पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में कारगर सिद्ध होगा।

किसानों को पशुपालन की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष प्रथम अप्रैल से मिल्कफैड, कामधेनु हितकारी मंच इत्यादि दुग्ध उत्पादन समितियों से कृषि उपज विपणन समिति (ए.पी.एम.सी) द्वारा कोई भी मंडी शुल्क नहीं वसूला जाएगा। गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन, दुग्ध से विभिन्न उत्पादों को तैयार करना, इनकी खरीद, विपणन के लिए प्रदेश सरकार बुनियादी अधोसंरचना सुदृढ़ कर रही है।

दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के दृष्टिगत 'हिम गंगा' योजना के तहत कांगड़ा जिला के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद संयंत्र मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में आधुनिक तकनीक से दूध का पाऊडर बनाया जाएगा ताकि लम्बे समय तक दूध को खराब होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, इस संयंत्र में दहीं, खोया, घी, आईसक्रीम, पनीर आदि दुग्ध उत्पादों को तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस संयंत्र की क्षमता को भविष्य की क्षमता को देखते हुए 1.5 लाख लीटर से बढ़ाकर तीन लाख लीटर प्रतिदिन करने का निर्णय भी सराहनीय है। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के दत्तनगर में भी 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त संयंत्र शुरू करने का फैसला भी सराहनीय है।

प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर तथा ऊना में भी आधुनिक दुग्ध विद्यायन संयंत्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र की ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण युवा अपने गांव में रह कर ही दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 – 25 के बजट में स्थानीय युवाओं को किसानों अथवा एकत्रिकरण केंद्रों में दूध को दुग्ध विद्यायन संयंत्रों तक पहुंचाने के लिए 50 प्रतिशत उपदान पर 200 रेफरिजरेटिड दुग्ध वैन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गयी है जो नि:संदेह सराहनीय पहल है।

दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए यह भी जरूरी है कि उन्हें उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाएं जाएं। इससे न केवल दूध की मात्रा में वृद्धि होंगी अपितु दूध की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी राज्य सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सोलन जिला के दाड़लाघाट में एक 'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र' की स्थापना की जाये। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे तथा वे पशुपालन की ओर आकर्षित भी होंगे। इसके अलावा रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन में भी कमी आएगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी।

शैक्षणिक गुणवत्ता से उज्ज्वल हो रहा बच्चों का भविष्य

वर्ष 2024 – 25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीटयूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा

डॉ.यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना से साकार हो रहे बच्चों के सपने

शिमला। ज्ञान और अनुसंधान के इस युग में हर बच्चे का जीवन ज्ञान से प्रकाशित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नवोन्मेषी कदम उठाये हैं। प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर, उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा के विभिन्न गुणात्मक आयामों के सुधार के लिए नवीन कदम उठाये गये हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2024 – 25 में 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीटयूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, इसमें 500 प्राईमरी, 100 हाई, 200 सीनियर सकैण्डरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ – साथ स्मार्ट कक्षाओं सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

हिमाचल के बच्चे धन के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें इसके लिए प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 28 वर्ष से कम आयु के पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर से बैंकों से 20 लाख रुपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण के अंतर्गत भोजन, आवास, ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं के व्यय शामिल हैं। योजना के अंतर्गत पात्र हिमाचली विद्यार्थी मेडिकल, पैरा – मेडिकल, फॉर्मेसी, नर्सिंग, विधि, आई.टी.आई एवं पॉलीटेक्नीक के तकनीकी पाठयक्रम तथा विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्त्ता के पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए और सालाना पारिवारिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के लाभ शैक्षणिक सत्र 2023 – 24 के लिए 01 अप्रैल, 2023 से आरम्भ कर दिए गए हैं। शैक्षणिक ऋण यदि 01 अप्रैल, 2023 के बाद भी स्वीकृत हुआ हो तो वह विद्यार्थी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना के अंतर्गत पात्र छात्र उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट https://education.hp.gov.in पर जाकर नोटिस बोर्ड से योजना दिशानिर्देश और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म भरने, जांच करने के बाद, आवेदक को दस्तावेज को स्कैन करना होगा और edurindhesml 2023@gmail.com के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना होगा। निदेशालय दो कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और आवेदक, उपायुक्त और संबंधित बैंक को ई – मेल भेजेगा तथा यदि आवेदक ने कॉर्पस फंड का विकल्प चुना है, तो संबंधित उपायुक्त उस संस्थान के बैंक खाते में 24 घंटे के भीतर कॉर्पस फंड से पहली किस्त जारी करेगा, जहां आवेदक प्रवेश चाहता है।

प्रदेश सरकार द्वारा मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा का प्रयोग कर, हर कौशल में बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाया जायेगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में विधानसभा चुनाव – 2022 के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं से किये वायदे को पूरा करते हुए 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रतिमाह देने को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को जीवनभर के लिये 1500 रुपये मासिक पैंशन के तहत लाया गया है।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एसएमसी शिक्षकों एवं कम्प्यूटर शिक्षकों के मुद्दों के दृष्टिगत बनाई गई मंत्रिमण्डलीय उप – समिति की सिफारिशों पर भी विचार – विमर्श किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाया जायेगा और उन्हें सरकार की नीति के तहत निर्धारित समयावधि में नियमित कर सरकारी सेवाओं में समावेशित किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने प्रवक्ता कम्प्यूटर साईंस के 985 पद भरने को भी स्वीकृति दी।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया तथा कहा कि सभी मंत्रिमण्डलीय सदस्य एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं। मंत्रिमण्डल ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की। मंत्रिमण्डल ने भाजपा द्वारा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत करवाया जाएगा तथा मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने एकमत

से विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी।

मंत्रिमण्डल ने केंद्र सरकार से आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के अनुसार अविलम्ब 9043 करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया। यह राशि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार तैयार की गई है तथा मंत्रिमण्डल ने केंद्र द्वारा पूरी राशि जारी करने की उम्मीद जताई है।

बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के युक्तिकरण का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार पदोन्नति के लिये पात्र हैं, उन्हें रिक्ति के आधार पर पदोन्नति दी जाये और इसके उपरांत उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में ली जाएं।

बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के भड़ोली को उप – तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के सूही मेला और साहो जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियो थेरेपी विभाग में मेडिकल फिजीसिस्ट के एक पद को स्तरोन्नत कर सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स करने का निर्णय लिया। बैठक में डा. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा के काडियोलोजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मण्डल – तीन से सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक चमियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण को विटर फील्ड उपमण्डल के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मण्डल – 1 में करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल – 1 के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला अनुभाग के नियंत्रण को लोक निर्माण विभाग के मण्डल – 3 के अंतर्गत विटर फील्ड स्थित उपमण्डल – 7 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मण्डल – 1 के अन्तर्गत ब्रॉकहर्स्ट अनुभाग का नियंत्रण विभाग के मण्डल – 3 के तहत प्रदेश सचिवालय स्थित उपमण्डल – 9 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।

देवी-देवताओं के नजराने और बजंतरियों के मानदेय में 10-10 प्रतिशत बढ़ोतरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान से विश्व विख्यात अन्तरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने मुख्य देवता राज माधोराय के मंदिर में शीश नवाया तथा मंदिर से शुरू हुई पारंपरिक शोभा यात्रा जलेब में भाग लिया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर भी साथ रही। पारंपरिक परिधानों से सजे हजारों श्रद्धालुओं ने देवी – देवताओं की पालकियों को पड्डल मैदान तक

पहुंचाया। यह शोभा यात्रा पड्डल मैदान में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भी भाग लिया और श्री राज माधोराय मंदिर में विधिवत पूजा – अर्चना की।

उन्होंने पड्डल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए देवताओं के नजराने और बजंतरियों के मानदेय में 10 – 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। देव समाज के हित के लिये सरकार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने पड्डल मैदान में विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारंभ किया। उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर मेला समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया।

मेला समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और मेले की गतिविधियों का ब्यौरा दिया।

कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्थापितों को देंगे बेहतर पैकेज:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया और प्रदेशवासियों की सुख – समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 49.22 करोड़ की 10 विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं उदघाटन भी किए।

इस अवसर पर विशाल जनसभा

को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिये अनुमति प्रदान कर दी गई है और मंत्रिमण्डल में यहां से विस्थापित होने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिला के लिए घोषित पर्यटन राजधानी के विकास को भी पंख लगेंगे।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में पूजा – अर्चना की। उन्होंने झंडा चढ़ानें की रस्म अदायगी के साथ ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में आयोजित हवन में पूर्णाहुति दी और विशाल शोभा यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम बैजनाथ शिवरात्रि का विशेष महत्व है और महाशिवरात्रि के दिन इसके उत्सव रूपी आयोजन से इसकी भव्यता और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि मेले और उत्सव समृद्ध भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और इन्हें संजोए रखना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर और अर्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 185.16 लाख से निर्मित पेयजल योजना संसाल मंधेड़ के सुधार कार्य, बैजनाथ चौबीन लड़भड़ोल सड़क पर 528 लाख से निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज, नाबार्ड के अंतर्गत 580.90 लाख की लागत से ताशीजोंग से भेठ झिकली, भेठ उपरली, घोड़पीठ, अवैरी सड़क तक उन्नयन और सुदृढ़ीकरण कार्य, 952.25 लाख से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सकड़ी, बैजनाथ के प्रशासनिक भवन, नार्बाड के अंर्तगत 336 लाख से निर्मित अवाही नाग से वाया घिरथोली कुनी ठारा सड़क मार्ग और 692.05 लाख से लंघू, सकड़ी – बही, नौहरा, कुंसल, मंधोल, बण्डियां वाया ठारा सड़क के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों को लोगों को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने 652.11 लाख से चढ़ियार क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की पेयजल वितरण प्रणाली में सुधार कार्य, 311.80 लाख से उठाऊ पेयजल योजना कुकैना और उठाऊ पेयजल योजना गदियाड़ा के सुधार व विस्तारीकरण कार्य, बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 691. 17 लाख से निर्मित होने वाली बहाव सिंचाई योजना मटरुं कूहल, संसाल कूहल, नलोहटा कूहल और शिव कूहल के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। उन्होने 281.31 लाख से मुल्थान गांव में ऊहल नदी पर बाढ़ नियंत्रण कार्य का शिलान्यास किया।

उन्होंने बैजनाथ के लिये बहुतकनीकी संस्थान, चढ़ियार के लिए आईटीआई, बैजनाथ सिविल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 150 करने, अस्पताल में सीटी स्कैन, ब्लड बैंक स्थापित करने की घोषणा भी की। बैजनाथ में इंडोर स्टेडियम के लिये 10 करोड़ रुपये, उतराला से होली सड़क के दूसरे चरण के कार्य को नाबार्ड के अतंर्गत लाने, सरजादा – दियोल – तत्तापानी सड़क की टारिंग, बीड़ पालमपुर वाया घरनाला के कार्य को पूर्ण करने तथा सिविल कोर्ट में वकीलों के लिए चैम्बर निर्माण की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मैदान बैजनाथ में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शियों का शुभारंभ कर इनका अवलोकन भी किया।

इससे पहले मुख्य संसदीय सचिव, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करोड़ों रुपए की योजनाएं समर्पित करने के लिये आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विषम आर्थिक परिस्थितियों में पूरे प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए धन की कभी कमी नही आने दी है।

मण्डी जिला में 84 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के शुभारंभ के मौके पर

मंडी जिला को करीब 84 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने इस अवसर पर पड्डल से 12 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने 5.20 करोड़ से निर्मित नागरिक चिकित्सालय रिवालसर के भवन और 1.72 करोड़ रुपये से निर्मित उप – तहसील कटोला के भवन का लोकार्पण किया।

उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के लिए जलशक्ति विभाग की 27 करोड़ रुपये की 8 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के तहत बाल्हड़ा नाला, नाल्ड़ खड्ड, कुहटनाला, हरयाण नाला, श्रीलंका नाला, घारड़ा नाला, लोअर तनेहड़ नाला और बरच्छवाड़ पपलोग के आसपास खड्ड व नालों के तटीयकरण कार्य का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने 11 – 11 करोड़ रुपये से होने वाले मढ़ी – संधोल सड़क और धर्मपुर – संधोल सड़क के स्तरोन्नत कार्यों का शिलान्यास किया। 28 करोड़ की लागत से बनने वाले 230 मीटर लंबे डबल स्पैन बैहरी पत्तन पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने 5.47 करोड़ से होने वाले गागल से सिमस सड़क के प्रधानमंत्री ग्राम संड़क योजना के तीसरे चरण में स्तरोन्नयन कार्य का शिलान्यास किया।

सोलन को दी 186 करोड़ रुपये की सौगात:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में लोगों को लगभग 186 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने सात करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 33/11 के.वी. विद्युत उप केन्द्र सायरी, 1.19 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के सायरी स्थित विश्राम गृह, 3.49 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित महोग – मतिमू बशील मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होंने पुलिस थाना सायरी, 12.17 करोड रुपये के कृषि विभाग के उप – निदेशक कार्यालय भवन व आवासीय परिसर, 1.83 करोड़ रुपये के जाईका के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, 1.29 करोड़ रुपये लागत के राजस्व सदन सोलन, 1.10 करोड़ रुपये की स्ट्रीट बैंडर मार्केट सपरून और 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला बद्दी का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने 7.37 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले ममलीग से कोट तक मार्ग के स्तरोन्यन, 6.02 करोड़ रुपये लागत के शारड़ाघाट से डवलोग तक मार्ग के स्तरोन्यन, 15.76 करोड रुपये लागत के वाकनाघाट से सुबाथू मार्ग तथा 7 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले डूमैहर से गम्बर पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने 5.58 करोड़ रुपये लागत के पौघाट से पलाह मार्ग, 7.19 करोड़ रुपये के टिकरी टनांजी मार्ग, 29.30 करोड़

रुपये के सोलन से धरजा मार्ग के स्तरोन्यन कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने 9.60 करोड़ रुपये के चम्बाघाट से सलुमणा मार्ग के स्तरोन्यन कार्य, 5.11 करोड़ रुपये लागत के मालगा कून मार्ग समीप बलेनी खड्ड, 5.60 करोड़ रुपये की लागत के बनने वाले मालगा से सैंज मार्ग की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने 5.25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उपरला बडयोला से निचला बडयोला तक सम्पर्क मार्ग, 6.16 करोड़ रुपये लागत के लेहन कोटला से सुनु टिक्करी सेर चिराग सम्पर्क मार्ग, 5.56 करोड़ रुपये लागत के शमलेच – चिल्ला मार्ग के मेट्लिंग एवं टायरिंग कार्य, 12.22 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग के सोलन स्थित तृतीय वृत के अधीक्षण अभियता कार्यलय भवन और 1.35 करोड़ रुपये की लागत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवन सलोगड़ा के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

भटियात विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ रुपये के लोकार्पण और शिलान्यास:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चम्बा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ रुपये की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। चुवाड़ी में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में सिविल कोर्ट, डीएसपी कार्यालय, मिनी सचिवालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने तथा फायर ऑफिसर का पद सृजित करने की घोषणा की। उन्होंने चंबा चुवाड़ी टनल की फीजिबिटिलटी रिपोर्ट के लिए चार करोड़ रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की और कहा कि भटियात के लिए जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोला जाएगा और डलहौजी में भी जल शक्ति विभाग का मण्डल बना रहेगा।

प्रदेश में संवैधानिक परम्पराओं का बखूबी निर्वहन करने की दिशा में कुलदीप सिंह पठानिया के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने भटियात तहसील में गांव सारना, सिलोह, चलाड़ी और समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए 2.20 करोड़ रुपये की उठाऊ पेयजल योजना और तहसील भटियात में उपरली बडीगी व निचली बडीगी के लिए 1.17 करोड़ रुपये की पेयजल योजना का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने समोट और भटियात खंड के अन्य गांवों के लिए 15.53 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली पेयजल योजना, तहसील भटियात की 12.59 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली बहाव सिंचाई योजना रजैं, सरोग के पुननिर्माण कार्य, तहसील भटियात के गांव जतरूण, त्रिमथ व सलोह के 4.32 करोड़ रुपये से होने वाले बाढ़ बचाव कार्य, तहसील सिहुता के गांव मतौला के 1.79 करोड़ रुपये से होने वाले बाढ़ बचाव कार्य, चुवाड़ी शहर के लिए 25.90 करोड़ रुपये से पेयजल योजना के सुधार एवं संवर्द्धन कार्य, शाहपुर – सिहुता – चौरी जोत चंबा रोड पर काली घार के उपर 3.86 करोड़ रुपये के भूस्खलन रोकथाम कार्य और सिहुता से जोलना खास सड़क के 6.43 करोड़ रुपये के उन्नयन कार्य की आधारशिला भी रखी।

सरकारी क्षेत्र में की जा रहीं 20 हजार भर्तियां:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसके लिए नीतियों – कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने यह बात आज कांगड़ा जिले के देहरा और नगरोटा बगवां में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार युवा हितैषी सरकार है और उनके लिए सरकारी क्षेत्र में 20 हजार भर्तियां की जा रही हैं। जलशक्ति विभाग में करीब 10 हजार युवाओं को नौकरी देने के साथ ही शिक्षा विभाग में 6500, पुलिस विभाग में 1231, वन विभाग में 2061 तथा खनन विभाग में करीब 100 भर्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाया जाये।

देहरा के बगलामुखी में जनसभा को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नही रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 350 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाला वन्य प्राणी उद्यान कांगड़ा जिला समेत पूरे प्रदेश में पर्यटन विकास को नई गति तथा आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोलने, बहुउद्देशीय मॉडल खेल परिसर बनाने, एकीकृत नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने नगरोटा बगवां तथा आसपास के क्षेत्र के लिए मल निकासी योजना की घोषणा की तथा 80 मीटर स्पैन के बड़ोह बाथू पुल के निर्माण को भी स्वीकृति दी। उन्होंने नगरोटा बगवां के चंगर क्षेत्र में 68 करोड़ रुपये की सिंचाई योजना, नगरोटा बगवां में मॉडल पुलिस स्टेशन व चामुंडा से वृंदावन के लिए एचआरटीसी की एसी बस चलाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में पूर्व मंत्री जी.एस.बाली के योगदान को स्मरण किया तथा नगरोटा के विकास के लिए आर.एस.बाली की प्रतिबद्धता की सराहना की।

इस अवसर पर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं नगरोटा बगवां के विधायक आर.एस. बाली ने विधानसभा क्षेत्र के 514 पंजीकृत महिला मंडलों को 11 – 11 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों सांकेतिक तौर पर पांच महिला मंडलों को धनराशि के चेक भेंट किए।

छात्रों को नए उद्यम शुरू करने पर किया प्रेरित,फंडिंग योजनाओं के बारे में बताया

शिमला/शैल। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में

खरीद एवं विपणन योजना के तहत एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर शैलेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक, एम.एस.एम.ई., विकास एवं सुविधा कार्यालय (डीएफओ सोलन) ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के बारे में बताया। विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन डॉ.केके रैना ने कहा कि विवि ने हमेशा रोजगार सृजन पर जोर दिया है और सरकार की विभिन्न योजनाओं ने देश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया है।

एमएसएमई डीएफओ सोलन के प्रमुख अशोक कुमार गौतम ने एमएसएमई की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमों की मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्यम पोर्टल के माध्यम से एक लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं और कार्यालय हिमाचल के सभी जिलों को सेवाएं दे रहा है। उभरते उद्यमियों और शोधकर्ताओं को क्लस्टर विकास योजना, एमएसएमई इन्क्यूबेशन और बौद्धिक संपदा सुविधा सेल के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी। विभिन्न सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों ने भी प्रतिभागियों को अपने – अपने संगठनों द्वारा व्यवसायों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सहायता के बारे में जानकारी दी।

मशरूम अनुसंधान निदेशालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.अनिल कुमार ने मशरूम से संबंधित कई उद्यमों के बारे में बात की, जिन्हें युवा एमएसएमई के सहयोग से शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार, खादी ग्रामोद्योग आयोग के विपणन विशेषज्ञ अंकुश शर्मा ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में बताया जिसके माध्यम से नए उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जिला उद्योग केंद्र सोलन से सुशील कौशिक ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी दी। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जी.ई.एम.) के बिजनेस फैसिलिटेटर रवि कुमार ने जी.ई.एम., जो सरकार के लिए सबसे बड़ा ई – मार्केटप्लेस है, पर अपने उत्पादों के विपणन के बारे में बताया। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार ने निगम द्वारा मौजूदा एमएसएमई को विपणन, कच्चे माल और प्रौद्योगिकी में प्रदान किए जा रहे समर्थन के बारे में जानकारी दी।

कार्यशाला का संचालन शैलेश कुमार सिंह ने किया और इसमें विश्वविद्यालय के 150 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 143 करोड़ रुपये की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय इंदौरा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे – बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इंदौरा में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने, मोकी (सुरडबां) में 33 केवी सब स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग डमटाल के पास पर्यटन होटल/यूनिटी मॉल खोलने, इंदौरा में ऑडिटोरियम/इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने, 3 पुलों सहित मोहतली – इंदौरा सड़क की चौड़ाई एवं सुधारीकरण करने, डमटाल गौशाला में गौवर्धन इकाई स्थापित करने, कंदरोड़ी में कोल्ड स्टोर, एचआरटीसी वर्कशॉप /क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पठानकोट से ढांगू स्थानांतरित करने, इंदौरा में पशु पालन विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने, पठानकोट से चंढीगढ़ वाया डमटाल, इंदौरा, रे, कटियाड़, तलवाड़ा, अम्ब व ऊना एचआरटीसी की नई बस सेवा आरम्भ करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हगवाल और कंगरेरी अधिसूचित करने, पशु औषधालय डुग्घ – बाकशियां तहसील इंदौरा को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने, चक्कीखड्ड पर पुल का निर्माण (डमटाल से माजरा, महोतली खड्ड) और सुरादवान से मलकाना पुल के निर्माण की घोषणा की।

इससे पूर्व, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 143 करोड़ रुपये की 14 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने गंगथ में 5.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आईटीआई भवन तथा 3.25 करोड़ रुपये की लागत से तारा खड्ड पर धंतोल गांव में निर्मित पुल का लोकार्पण भी किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 27.44 करोड़ रुपये की लागत की घंडरां से रैहन वाया मौकी सड़क उन्नयन कार्य, 23 करोड़ रुपये की बाई इंदौरियां – मंड मियानी – मिलवां से बरोटा सड़क उन्नयन कार्य, 12 करोड़ रुपये की मंधोली – टप्पा – इंदपुर – पलाहघाट सड़क उन्नयन, 9 करोड़ रुपये की गंगथ से घेटा सड़क उन्नयन कार्य, 12.52 करोड़ रुपये की मकड़ोली से चंगराड़ा सड़क उन्नयन कार्य, 12.58 करोड़ रुपये की इंदौरा से काठगढ़ वाया कुड़सेन सड़क के उन्नयन कार्य तथा 6.35 करोड़ रुपये की लागत से बलीर से डेकवां वाया समून – रंडोह सड़क के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग द्वारा नाबार्ड के तहत क्षेत्र के लिए 31 करोड रुपए की लागत से बनने वाली पांच विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किया। जिसमें उठाऊ सिचाई योजना गंगथ, लूथर बेड़ी और बड़ूखर के तहत नवीनीकरण कार्य, मण्ड क्षेत्र के अंतर्गत 6 नलकूपों तथा इंदौरा क्षेत्र के लिए 19 नलकूपों की आधारशिला रखी। उन्होंने सूरजपुर खड्ड पर बाढ़ नियंत्रण के लिए बनने वाले तटबंध की आधारशिला भी रखी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

बागियों ने पूछा फाइव स्टार होटल में रुकने का राज

☞ मौजूदा स्थिति के लिये मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार
☞ समझौते के दरवाजे हुए बन्द

शिमला/शैल। छः असंतुष्ट नेताओं और तीन निर्दलीय विधायकों ने पहली बार एक साथ संयुक्त ब्यान जारी करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जबरदस्त हमला बोला है। इन नेताओं राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, आशीष शर्मा और के. एल. ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री को दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि मौजूदा स्थिति के लिए असली गुनहगार कौन है और किसने यह स्थितियां पैदा की।

इन नेताओं ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री बार-बार उनसे किसी भी सूरत में समझौता कर लेने की एप्रोच कर रहे हैं और दूसरी तरफ नागों और भेड़ों से उनकी तुलना कर रहे हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भेड़ बकरियों से तुलना करना हिमाचल की गौरवपूर्ण संस्कृति के खिलाफ है। इन नेताओं ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन स्वाभिमान से समझौता कतई नहीं कर सकता और वे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं।

इन नेताओं ने संयुक्त ब्यान में कटाक्ष करते हुये यह भी पूछा है कि अगर मुख्यमंत्री इतने ही पाक साफ हैं तो उन्हें प्रदेश की जनता को यह हकीकत भी बतानी चाहिये कि वह चंडीगढ़ के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान हिमाचल भवन में बने सीएम सूट में रुकने की बजाये फाइव स्टार होटल में क्यों रुकते थे और सिक्योरिटी वालों को भी आगे पीछे क्यों कर देते थे। इसके पीछे मुख्यमंत्री का क्या एजेंडा और क्या राज रहता था। यह राज प्रदेश की जनता को भी मालूम होना चाहिए। परदे के पीछे वह क्या खेल खेलते थे, इसकी जानकारी जनता को देने का नैतिक साहस भी उन्हें दिखाना चाहिए।

इन नेताओं ने कहा कि सरकार विधायकों के समर्थन से चलती है लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी मित्र मंडली को तरजीह देकर चुने हुए विधायकों को पिछले सवा साल से जलील कर रहे थे। जिन लोगों ने विधानसभा क्षेत्र में चुनावों में हमारा खुलकर विरोध किया था, उन्हें मुख्यमंत्री अपने सरआंखों पर बिठाकर हमें हर पल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ओहदों से नवाजा जा रहा था। उनकी मित्र मंडली विधायकों के ऊपर हावी हो रही थी और मुख्यमंत्री से बार-बार इस बारे आग्रह भी किया गया था लेकिन वे तानाशाह की तरह रवैया अपनाए रहे। इन नेताओं ने कहा कि चुने हुये विधायक अगर जनता के काम नहीं करेंगे तो वह जनता के बीच कैसे जाएंगे।

इन नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता यह भी भलीभांति जानती है कि 'कैबिनेट रैंक प्राप्त मित्र' इस सरकार में क्या गुल खिला रहे हैं और कितनी लूट मचा रखी है। साथ ही इन नेताओं ने मुख्यमंत्री से यह भी सवाल किया है कि प्रदेश में सरकार के गठन में उनके इन मित्रों का क्या योगदान है, यह भी जनता को बताया जाना चाहिए और जनता के खजाने से इन पर कितने पैसे लुटाये जा रहे हैं, यह हकीकत भी जनता के सामने रखनी चाहिए। इन नेताओं ने करारा तंज करते हुये कहा कि जनता के चुने हुए विधायकों को नजरअन्दाज करके मित्रों को खुली छूट देने, रेवड़ियों की तरह उन्हें कैबिनेट रैंक से नवाजने और विधायकों को जलील करने को ही क्या व्यवस्था परिवर्तन कहा जाता है?

उन्होंने कहा कि हिमाचल के स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता और मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को यह भी बताना होगा कि जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा हो, उसे पार्टी का टिकट देकर राज्यसभा में भेजने के पीछे क्या मंशा थी और क्या मजबूरी थी।

इन नेताओं ने कहा कि इस सरकार में जो लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें से 9 तो खुलकर बाहर आ गये हैं लेकिन कुछ तो मंत्री और विधायक होने के बावजूद सुक्खू की सरकार में घुटन महसूस कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन वाली इस सरकार में स्थिति ऐसी हो गयी ही है कि मंत्रिमंडल की बैठकों से भी मंत्री रोते हुये बाहर आ रहे हैं। इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है, यह वही बेहतर बता सकते हैं।

इन नेताओं ने कहा कि अपने भाषणों में आरोप लगाने से सच्चाई छुपने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता को यह भी साफ-साफ बताना चाहिये कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होने के पीछे असली गुनहगार मुख्यमंत्री खुद हैं या हाईकमान है या कोई और है।

इन नेताओं ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है लेकिन रस्सी जल गयी पर बल नहीं गया वाली कहावत भी कांग्रेस नेतृत्व पर ही चरितार्थ होती है।

व्यवस्था परिवर्तन के जुमले

.....पृष्ठ 1 का शेष

पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? प्रदेश नेतृत्व द्वारा जवाब न दिये जाने पर हाईकमान तक बात पहुंचाई जायेगी। यदि हाईकमान भी बात नहीं सुनेगा तो फिर बगावत के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। क्योंकि जनता सुप्रीम होती है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट से यही झलकता है कि इस समय सरकार और पार्टी को बचाने की बजाये मुख्यमंत्री को बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। भले ही कांग्रेस के हाथ से हिमाचल में सरकार और संगठन दोनों ही निकल जायें। क्योंकि बागी विधायक और पार्टी अध्यक्ष पिछले एक वर्ष से हाईकमान को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते आ रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी गयी। सारे प्रदेश को व्यवस्था परिवर्तन की जुमले के गिर्द घुमाया गया और आज मित्रों के बोझ से ही सरकार गिरने पर पहुंच गई है। जबकि यह व्यवस्था परिवर्तन आज तक परिभाषित नहीं हो सका है।

किन महिलाओं को मिलेगी 1500 रूपये की सम्मान राशि फॉर्म से उठे सवाल

शिमला/शैल। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश की हर महिलाको 1500 रूपये प्रतिमाह एक सम्मान राशि देने की गारंटी दी थी। इस गारंटी का असर हुआ और कांग्रेस की सरकार बन गयी। लेकिन सरकार बनने के बाद इस गारंटी को पूरा करना कठिन हो गया। क्योंकि प्रदेश की स्थिति तो श्रीलंका जैसे हालात होने की कगार पर थी। परन्तु यह गारंटी एक बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष ने उछाल दी। जनता भी इसके प्रति सचेत हो गई और कांग्रेस सरकार से इसकी मांग करने लगी। कांग्रेस के नेता जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं रहे। मुद्दा कांग्रेस हाईकमान तक जा पहुंचा। हाईकमान ने लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू करने के निर्देश दे दिए।

अब सुक्खू सरकार ने इस गारंटी पर अमल करने की घोषणा कर दी है। इसके लिये एक फॉर्म जारी किया गया है। जो यह राशि पाने के लिये हर महिला को भरकर देना है। इस फॉर्म में कुछ वर्ग चिन्हित किये गये हैं। इस लाभ के लिये आवेदन करने वाली महिलाओं से यह जानकारी मांगी गयी है कि उनके परिवार का कोई सदस्य इन वर्गों में से तो नहीं है। फार्म में यह स्पष्ट नहीं किया गया है की इन वर्गों से संबंधित महिला इस लाभ की पात्र होंगी या नहीं। परन्तु यह जानकारी मांगने से ही यह शंका हो जाती है कि इनसे जुड़ी महिलाएं इस लाभ की पात्र नहीं होगी। यदि ऐसा हुआ तो इस राशि के लाभार्थीयों का आकड़ा बहुत ही कम रह जायेगा। इस फार्म से तो यही संकेत उभरता है।

यह है फॉर्म

प्रपत्र (1)

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हि0प्र0

क्रम संख्या.....
पंजीकरण तिथि.....

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख–सम्मान निधि योजना

1. आवेदिका का नामः– .....
2. पिता का नामः– ..... माता का नाम .....
   पति का नाम.....
3. यदि पिता/ पति/माता जीवित नहीं है तो संरक्षक का नाम व सम्बन्ध .....
4. स्थाई पताः–गांव .....वार्ड नं0 .....पंचायत.....
   डाकघर.....तहसील ..... जिला .....
   पिनकोड.....
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या.....
6. जन्म तिथिः– (अंकों में)..... शब्दों में.....
7. श्रेणीः– अनु0 जाति/अनु0 ज0 जाति/अ0 पि0 वर्ग /अन्य
8. क्या आवेदिका अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखती है? हां /नहीं
9. क्या बी0 पी0 एल0 परिवार से सम्बन्धित है:– .....

आवेदिका का फोटो

10. यदि हां, तो परिवार की बी0 पी0 एल0 संख्या सर्वेक्षण वर्ष सहित .....
11. आवेदिका का आधार कार्ड नम्बर .....
12. आवेदिका के परिवार का राशन कार्ड नम्बर .....
13. **क्या आवेदिका के परिवार से निम्न श्रेणियों के सदस्य हैं ?**
    केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पैंशनर, अनुबन्ध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/ अंशकालिक इत्यादि वर्ग के कर्मचारी, सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवायें, मानदेय प्राप्त आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका/ आशा वर्कर/मिड डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पैंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं /शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/कांउसिल/एजैंसी में कार्यरत/पैंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता इत्यादि। **हाँ/नहीं**
14. **आवेदिका के नाम बैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरण** :
    (क) बैंक/डाकघर का नाम जहां खाता है :
    (ख) खाता संख्या
    (ग) आई. एफ. एस. सी. कोड

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(पैड की स्याही के साथ)